

भारखण्ड सरकार,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ।

:: अधिसूचना ::

राँची, दिनांक-

14/11/02

16.7.2002

एसओओ बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतखण्ड सरकार की बिहार चाईल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन रूल्स, 1995 को निम्नलिखित संशोधनों के साथ अंगीकृत करती है:-

उक्त नियमावली में जहाँ-जहाँ "बिहार" का उल्लेख किया गया है, वहाँ-वहाँ उसे शब्द भारतखण्ड से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा ।

संख्या-2/एसओओ-109/2001 क्र०नि०- 2859 (अ) 2134

भारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पी० एस० चीमा
सरकार के सचिव ।

:: अधिसूचना ::

राँची, दिनांक-

14/11/02

16.7.2002

एसओओ एसओओ दिनांक का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद भारतखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

संख्या-2 /एसओओ-109/2001 क्र०नि०- 2859 (अ) 2134

भारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पी० एस० चीमा
सरकार के सचिव ।

Notification

Ranchi, dated-

14/11/02

16.7.2002

S.O. In exercise of power conferred by section-85 of the Bihar Re-organisation Act, 2000 the Government of Jharkhand do hereby adopt 'The Bihar Child Labour Prohibition & Regulation) Rules, 1995 with the following amendments:-

In the said rules wherever the word "Bihar is mentioned it shall be deemed to have been substituted by the word "Jharkhand".


No. 2/SA-10-9/2001B, L&T-
By the order of the Governor
of Jharkhand,

Secretary to the Govt.

- 2 - 2859 (अ) 14/11/02

ज्ञापक-2/एफ0ए0-10-9/2001 श्र0नि0- ~~2135~~ राँची, दिनांक- ~~16.7.2002~~

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राँची को गजट के असाधारण अंक में
एक सौ प्रतियों में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

 12.7.02

पी0 एस0 चीमा
सरकार के सचिव।

2859 (अ)

ज्ञापक-2/एफ0ए0-10-9/2001 श्र0नि0- ~~2135~~ राँची, दिनांक- ~~16.7.2002~~

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार एवं झारखण्ड, पटना/राँची को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

 12.7.02

पी0 एस0 चीमा
सरकार के सचिव।

2859 (अ)

ज्ञापक-2/एफ0ए0-10-9/2001 श्र0नि0- ~~2135~~ राँची, दिनांक- ~~16.7.2002~~

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, झारखण्ड/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी/सभी आयुक्त/
सभी उपायुक्त/निदेशक, कृषि श्रमिक, झारखण्ड, राँची/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त
सभी श्रम अधीक्षक/मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, झारखण्ड, धनबाद/सभी वाणिज्य निरीक्षक/सभी
कारखाना निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

 12.7.02

पी0 एस0 चीमा
सरकार के सचिव।